EMAIL / FAX

पत्र सं0—105/का.नि.—14/2016 गृ0आ0 713 /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,

प्रधान सचिव,

गृह विभाग ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,

पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार।

सभी जिला पदाधिकारी।

सभी जिला पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक— 25.01., 2017

विषय : **वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत् संरक्षित क्षेत्रों में पदस्थापित वनपालों को विशेष पुलिस पदाधिकारी घोषित करने के संबंध में मार्गदर्शी अनुदेश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या—337/95 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में पदस्थापित वनपालों को बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा—19 के तहत् पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के विशेष पुलिस पदाधिकारी के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इससे ऐसे वनपालों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा—129, 130 एवं 132 के तहत् पुलिस पदाधिकारियों को अधिप्राप्त शक्तियाँ एवं प्रतिरक्षण प्राप्त हो सकेगा जिसके फलस्वरूप संरक्षित क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणी अपराधों से संबंधित कानूनों के प्रभावी प्रवर्त्तन में सहायता मिलेगी।

2. सम्यक् विचारोपरान्त वनपालों को विशेष पुलिस पदाधिकारी घोषित करने हेतु निम्नलिखित दिशा—निर्देश दिये जाते हैं :—

(1) वनपालों को बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा—19 के तहत् पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के विशेष पुलिस पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव अनुसूची—1 में संबंधित प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को भेजा जायेगा। जिला पुलिस अधीक्षक उन प्रस्तावों की समीक्षा कर अपनी अनुशंसा के साथ जिला पदाधिकारी को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला

(8) सामान्यतः विशेष पुलिस पदाधिकारी के रूप में नियुक्त वनपाल वन विभाग में निर्धारित अधिक्रम के तहत् कार्य करेंगे परन्तु आवश्यकता होने पर उनकी सेवाएँ पुलिस की सहायता करने हेतु मांगी जा सकेगी।

3. पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने स्तर से भी इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के आलोक में आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी) २५.१.१७
प्रधान सचिव
गृह विभाग

<u>अनुसूची</u> - I

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	जन्मतिथि एवं आयु (वर्षों में)	संरक्षित क्षेत्र में पदस्थापन का विवरण			
			वन प्रक्षेत्र	वन परिसर	थाना	जिला

प्रपत्र–1

[बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–19(1) द्रष्टव्य]

आदेश

वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित .... (वन्यप्राणी आश्रणी का नाम)......................................में पदस्थापित, इसके साथ उपाबद्ध सूची में उल्लेखित वनपालों जिनका नाम, जन्मतिथि एवं कार्यक्षेत्र का विवरण उनके नाम के समक्ष उल्लेखित है, को उनके कार्यक्षेत्र में, पुलिस अधीक्षक .. ..(जिला का नाम) की पत्रांक.................... दिनांक.......................... में निहित एतद्संबंधी अनुशंसा के आलोक में बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–19(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए विशेष पुलिस पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. इस प्रकार नियुक्त विशेष पुलिस पदाधिकारी बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–19(2)(क) के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र हासिल करने के उपरान्त ही बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–19(2)(ख) में विहित शक्तियों, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का उपभोग पुलिस अवर निरीक्षक के सदृश्य कर सकेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
जिला ....

विशेष पुलिस पदाधिकारी के रूप में नियुक्त वनपालों की सूची

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	जन्मतिथि एवं आयु (वर्षों में)	संरक्षित क्षेत्र में पदस्थापन का विवरण			
			वन प्रक्षेत्र	वन परिसर	थाना	जिला

जिला दण्डाधिकारी

प्रपत्र–2

[बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–19(2)(क) द्रष्टव्य]

प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी ....(कार्मिक का नाम) जो वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संसूचित .... (आश्रयणी/संरक्षित क्षेत्र का नाम) में वनपाल के पद पर पदस्थापित हैं और जिन्हें बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–19(1) के अंतर्गत अवर निरीक्षक के सदृश्य विशेष पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, द्वारा दिनांक .... से .... तक पुलिस लाइन (प्रशिक्षण संस्थान का नाम) .... में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया और इनके द्वारा उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।

हस्ताक्षर
पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा
....
(जिला/प्रशिक्षण संस्थान का नाम)

हस्ताक्षर
जिला दण्डाधिकारी
जिला ....